न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 125/2025 – निगरानी

उनवान प्रकरण

1. उछबा पुत्री कालू लाल गुर्जर पत्नी शंकर गुर्जर निवासी राजगढ हाल निवासी कटारिया का खेड़ा तहसील माण्डलगढ हाल तहसील काछोला जिला भीलवाड़ा

बनाम

1. श्रीलाल पिता कालूलाल गुर्जर निवासी राजगढ तहसील माण्डलगढ हाल तहसील काछोला जिला भीलवाड़ा
2. शांति पुत्री कालूलाल गुर्जर पत्नी गोपाल गुर्जर निवासी राजगढ तहसील माण्डलगढ हाल तहसील काछोला जिला भीलवाड़ा
3. भूरी पत्नी कालूलाल गुर्जर पत्नी गोपाल गुर्जर निवासी राजगढ तहसील माण्डलगढ हाल तहसील काछोला जिला भीलवाड़ा
4. हरिलाल पिता कालूलाल गुर्जर निवासी राजगढ तहसील माण्डलगढ हाल तहसील काछोला जिला भीलवाड़ा
5. सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत

–निगराकार

– गैर निगराकार

निगरानी अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध ग्राम पंचायत राजगढ तहसील माण्डलगढ हाल तहसील काछोला बमामले पत्रावली संख्या 180/2022 पट्टा संख्या 19 दिनांक 16.06.2022

उपस्थित –

1. श्री श्याम लाल गुर्जर अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. श्री राकेश कुमार तेली अधिवक्ता – गैर निगराकार संख्या 1,3,4 की ओर से

निर्णय

दिनांक 17.11.2025

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम विरूद्ध गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम जाल का खेड़ा, ग्राम पंचायत राजगढ तहसील माण्डलगढ हाल तहसील काछोला जिला भीलवाड़ा में निगराकार व गैर निगराकार संख्या–01 से लगायत 04 के पूर्वजो के जीवनकाल से एक पुश्तैनी मकान निर्मित होकर स्थित है। अधीनस्थ ग्राम पचायत ने पुश्तैनी मकान का पट्टा

17.11.25

अति. जिला कलक्टर

एक मात्र गैर निगराकार संख्या–01 के पक्ष में जारी किया जो विधि विरूद्ध होकर निरस्त योग्य है। क्योकि पुश्तैनी मकान निगराकार व गैर निगराकार संख्या–01 से लगायत 04 के पूर्वजो के जीवनकाल से निर्मित शुदा होकर मकान बना हुआ है, तथाकथित पुश्तैनी मकान निगराकार / प्रार्थीया का भी तथाकथित मकान में पूर्ण रूप से हक अधिकार निहित है। तथाकथित पुश्तैनी मकान का अधीनस्थ ग्राम पचायत राजगढ ने गैर निगराकार संख्या–01 के पक्ष में संकल्प संख्या–02 दिनांक 06–06–2022 के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली संख्या–180 पट्टा संख्या–19 दिनांक 16–06–2022 को जारी किया गया जिसे निरस्त कराया जाकर निगराकार व गैर निगराकार संख्या–01 से लगायत 04 के पक्ष में पट्टा विलेख जारी कराने के आदेश अधीनस्थ ग्राम पचांयत राजगढ को जारी कराना फरमावे।

प्रस्तुत निगरानी न्यायालय में दायर की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। प्रकरण में निगराकार एवं विपक्षी संख्या 1,3,4 के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

निगराकार ने अपनी बहस में निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ ग्राम पचायत ने पुश्तैनी मकान का पट्टा एक मात्र गैर निगराकार संख्या–01 के पक्ष में जारी किया जो विधि विरूद्ध होकर निरस्त योग्य है। क्योकि पुश्तैनी मकान निगराकार व गैर निगराकार संख्या–01 से लगायत 04 के पूर्वजो के जीवनकाल से निर्मित शुदा होकर मकान बना हुआ है, तथाकथित पुश्तैनी मकान निगराकार / प्रार्थीया का भी तथाकथित मकान में पूर्ण रूप से हक अधिकार निहित है। तथाकथित पुश्तैनी मकान का अधीनस्थ ग्राम पचायत राजगढ ने गैर निगराकार संख्या–01 के पक्ष में संकल्प संख्या–02 दिनांक 06–06–2022 के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली संख्या–180 पट्टा संख्या–19 दिनांक 16–06–2022 को जारी किया गया जिसे निरस्त कराया जाकर निगराकार व गैर निगराकार संख्या–01 से लगायत 04 के पक्ष में पट्टा विलेख जारी कराने के आदेश अधीनस्थ ग्राम पचांयत राजगढ को जारी कराना फरमावे।

विपक्षी संख्या 1,3,4 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि निगराकार की निगरानी स्वीकार कर ली जावे तो कोई आपत्ति नही हैं।

प्रकरण में बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिस अनुसार पाया गया कि निगराकार की

17.11.25
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

निगरानी मेमों में अंकित तथ्यों अनुसार एवं विपक्षी की बहस अनुसार प्रश्नगत पटटे पर निगराकार एवं गैर निगराकार संख्या 1 से 4 का सामलाती कब्जा होकर उपयोग उपभोग किया जा रहा हैं। कार्यालय ग्राम पंचायत राजगढ पंचायत समिति माण्डलगढ के पत्रांक/स्पे./14/2025–26 दिनांक 14.11.2025 अनुसार प्रश्नगत पटटे पर निगराकार एवं गैर निगराकार शामलाती रह रहे हैं। ऐसे में केवल गैर निगराकार संख्या 01 के नाम पर ही पटटा जारी किया जाना न्यायोचित नही ठहरता हैं। प्रश्नगत पटटे के संबंध में विपक्षी द्वारा भाई बहिनों का आपसी सहमति पत्र भी पेश नही किया गया हैं।

उपरोक्त विवेचन अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा प्रश्नगत पटटा संख्या 19 दिनांक 16.06.2022 मौका स्थिति के विपरीत होने से खारिज किया जाना उचित ठहरता हैं। अतः निगराकार की निगरानी स्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत निगरानी स्वीकार की जाती हैं। ग्राम पंचायत राजगढ पंचायत समिति माण्डलगढ द्वारा जारी पटटा संख्या 19 दिनांक 16.06.2022 को मौका स्थिति के विपरीत होने से खारिज किया जाता हैं तथा ग्राम पंचायत को निर्देशित किया जाता हैं कि मौका स्थिति व सहमति अनुसार पुनः पटटा जारी करें। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत राजगढ पंचायत समिति माण्डलगढ को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 17.11.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17.11.25

(रणजीत सिंह)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा